

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
कार्मिकों का विवरण:-

S.N.	NAME AND POST	POSTING PLACE	DOB	JOURNEY PLACE AND PERIOD
1	MADHU BUTTAR RAJPURHIT Senior Teacher Mathematics	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 3ML GANGANAGAR	18-07-1973	CANADA, WHITEROCK BC V4B 3T7 DATE 13/09/2023 TO 04/01/2024 (114 DAYS)
2	REKHA CHOUBISA Teacher Level-1	DEVENDRA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DUNGARPUR	19-11-1971	CANADA, KITCHENER DATE 03/07/2023 TO 27/09/2023 (87 DAYS)
3	ANITA CHOUBISA Physical Education Teacher	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THANA DUNGARPUR	13-03-1976	NETHERLANDS, AMSTERDAM DATE 19/09/2023 TO 07/12/2023 (80 DAYS)
4	MAMRAJ GARHWAL Senior Teacher Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAHADURPURA SIKAR	06-01-1986	DUBAI DATE 25/06/2023 TO 30/06/2023 (06 DAYS)
5	MADHU KASLIWAL Teacher Level-1	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NAVEEN VIDYADHAR NAGAR JAIPUR	02-08-1970	SPAIN, EUROPE DATE 15/07/2023 TO 24/07/2023 (10 DAYS)
6	MAMTA KASHYAP Teacher Level-1	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAPADIYAWAS JAIPUR	16-12-1971	UAE SHARJAH DATE 01/09/2023 TO 30/09/2023 (30 DAYS)

शर्त :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

Signature valid संदेशक, माध्यमिक शिक्षा (प्रशिक्षण)

Digitally signed by D. Hemendra
Kumar Joshi
Designation : Joint Director
Date: 2023.06.28 18:14:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4115669



क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2023/पार्ट-2/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), बीकानेर, उदयपुर, चूरु, जयपुर संभाग।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, सीकर, जयपुर।
- 3- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 4- संबंधित संस्थाप्रधान को भेजकर लेख है कि शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विद्यालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करे।
- 5- संबंधित कार्यालय।
- 6- रक्षित पत्रावली।

दिनांक: 23 JUN 2023

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर



Signature valid

Digitally signed by D. K. Mendra
Kumar Joshi
Designation : Joint Director
Date: 2023.06.23 18:14:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4115669

